स्वराज INDIA

आवेदक के लिए दिशा निर्देश : हरियाणा विधान सभा चुनाव में स्वराज इंडिया का उम्मीदवार होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें:

उम्मीदवार क्या करेगा या होगा/होगी :

- भारत का नागरिक व हरियाणा का मतदाता हो।
- स्वराज इंडिया के उद्देश्यों की जानकारी रखती/रखता हो व उनसे सहमत हो।
- स्वराज इंडिया की अधिकृत इकाई द्वारा तय मानदंड का चुनाव प्रचार में पालन करेगी/करेगा।
- स्वराज इंडिया द्वारा तय मुद्दों पर चुनाव प्रचार करेगी/करेगा व स्थानीय मुद्दों को भी संगठन की पूर्व सहमति से उठाएगी/उठाएगा।

उम्मीदवार क्या नहीं करेगी/करेगा :

- किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा।
- किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं होगा जिसके विचार, उद्देश्य व कार्यक्रम स्वराज इंडिया के उद्देश्यों व मूल सिद्धांत के खिलाफ हैं।
- किसी ऐसी अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे कि पार्टी की छवि खराब होती हो।
- किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं होगा । किसी भी तरह की हिंसा में न शामिल होगा न ही हिंसा को उकसाएगा।
- वह जाति, धर्म व लिंग आदि किसी भी आधार पर नफरत फैलाने वाली किसी गतिविधि या संस्था का सदस्य नहीं होगा।
- वह किसी भी तरह से यौन उत्पीड़न या नशे के दुर्व्यवहार में शामिल नहीं होगा।

अयोग्यता :

- चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी, सम्प्रदायिक व आपराधिक रिकॉर्ड का दोषी होना उम्मीदवार चयन से पहले और चयन के बाद भी अयोग्यता मानी जाएगी
- इसकी जांच के लिए स्वराज इंडिया विशेष तौर पर लोकपाल की नियुक्ति करेगा जो प्रेसिडिएम द्वारा चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की उक्त मानदंडों की कसौटी पर जांच करेगा। लोकपाल की सिफारिश पर किसी भी अधिकृत आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय रद्द की जा सकेगी ।

चयन की कसौटियां :

उम्मीदवार का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर होगा:

1. उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा को चयन समिति द्वारा चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, सम्प्रदायिकता व आपराध में लिप्त ना होने की चार नकारात्मक कसौटियों पर कसा जाएगा। इस मानदंड के कारण अयोग्यता की भरपाई कोई भी अन्य योग्यता नहीं कर सकती है।

2.सकारात्मक मानदंड में उम्मीदवार का सामाजिक और राजनीतिक कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा;

3.स्वराज इंडिया के सदस्यों के लिए संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और प्रचार अभियान में किए काम और गैर सदस्यों के लिए स्क्रीनिंग और चयन समितियों द्वारा मूल्यांकित कार्यक्षमता देखी जाएगी

4.स्क्रीनिंग और चयन समितियों द्वारा उस इलाके के लिए प्रत्याशी के नेतृत्वगुण और उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा। असाधारण मामलों में यह मानदंड निर्णायक हो सकता है।

5 महिला और युवा (40 साल तक) प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। .